निविदा सूचना

मानीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय,कानपुर देहात परिसर स्थित माती के दक्षिणी–पश्चिमी कोने की ओर स्थित जलपान गृह एवं तीन दुकानों के नीलामी/निविदा हेतु प्रकिया वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु दिनांक–27.06.20 को समय 4.00 बजें दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात केन्द्रीय नजारत के समक्ष की जायेगी।

निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त 1. जलपान गृह, 2.लेखन सामाग्री , 3. फोटोकापी एवं 4. कम्प्यूटर टाईपिंग दुकान की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण कर सील बन्द निविदा प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते है–

निविदा की शर्ते व नियम

1. ठेके देने की प्रकिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार /सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।
2. दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के जलपान गृह, लेखन सामाग्री , फोटोकापी एवं कम्प्यूटर टाइपिंग दुकान का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा। किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
3. दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के जलपान गृह, लेखन सामाग्री, फोटोकापी एवं कम्प्यूटर टाईपिंग दुकान को ठेके पर उठाने की प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित के सम्मुख अंकित धनराशि का बैक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो श्रीमान जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।
   1. **जलपान गृहः–**सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–20,000/–।
   2. **लेखन सामाग्री दुकान–**सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–10,000/।
   3. **फोटोकापी दुकान–**सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–10,000/–।
   4. **कम्प्यूटर टाईपिंग दुकान–** सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–10,000/–।
4. निविदा के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0डी0 जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा दीवानी न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
6. स्वीकृति निविदा के उपरान्त निविदादाता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 05.07.20 तक जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।

7. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जायेगी।
8. ठेके की अन्तिम स्वीकृति श्रीमान जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात महोदय द्वारा की जायेगी।
9. निविदा प्रकिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।
10. उपरोक्त दुकानों के उपयोग की अवधि दिनांक–31.03.2021 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा दुकान का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक–02.06.20 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

दिनांक–02.06.2020

(अखिलेश कुमार पाठक)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज कोर्ट नं0–4,
कानपुर देहात।
02.06.20